

प्रेस नोट दिनांक 18.02.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 18.02.2026

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ व थाना रानीगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा “दुकान पर जबरन निर्माण एवं मारपीट” के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में एसटीएफ व थाना रानीगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दुकान पर जबरन निर्माण एवं मारपीट की घटना कारित करने वाला—25000/-रुपये का ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी जैरामपुर, थाना रानीगंज द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 19.11.2025 को सुबह वादी अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय विपक्षीय राजेन्द्र प्रसाद पटेल, असफाक अहमद, तब्बू उर्फ तबरेज, संतोष दूबे एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति कई वाहनों से पहुंचकर वादी की दुकान की शटर तोड़ने तथा भूमि पर जबरन निर्माण का प्रयास कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने वादी को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 415/2025 धारा 191(2),119 (1),115 (2),352,351(3),324(4) BNS बनाम 04 नामजद व कुछ लोग नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह व एसटीएफ टीम- उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि0 श्री अरशद खान, हे0का0 राजीव कुमार, कां0 अमित त्रिपाठी, कां0 श्रीराम सिंह व चालक हे0कां0 नेपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 415/25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/119 (1)/115 (2)/352/351 (3)/324 (4) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त, 1. तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खान पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को जनपद सुल्तानपुर प्रयागीपुर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ श्री धर्मेंश कुमार शाही के कुशल पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ टीम के उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि0 श्री अरशद खान, हे0का0 राजीव कुमार, कां0 अमित त्रिपाठी, कां0 श्रीराम सिंह व चालक हे0कां0 नेपाल सिंह द्वारा मु0अ0सं0 415/25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/119 (1)/115 (2)/352/351 (3)/324 (4) बीएनएस में वांछित चल रहा 25000/- रु0 का इनामिया अभियुक्त तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खान पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को जनपद सुल्तानपुर प्रयागीपुर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर व उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिन्हें धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया था। उक्त अभियोग में धारा 191(3) एवं 190 BNS की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खान पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

ईनामिया अभियुक्त तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खान पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम पूरे गोलिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-645/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 342, 504, 506 भा0द0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0-196/2022 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-0231/2025 धारा 110, 115(2), 126(2), 190, 191(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0-0403/2025 धारा 140(3), 351(3), 62 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0-0350/2017 धारा 7 दंडविधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983 तथा 147, 152, 160, 427 भा0द0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0-0485/2018 धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0-0084/2019 धारा 325, 506 भा0द0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0-0170/2022 धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0-0450/2020 धारा 323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0-0415/2025 धारा 115(2), 119(1), 190, 191(2), 191(3), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

एसटीएफ टीम-

उ0नि0 श्री अतुल चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि0 श्री अरशद खान, हे0का0 राजीव कुमार, कां0 अमित त्रिपाठी, कां0 श्रीराम सिंह व चालक हे0कां0 नेपाल सिंह

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0- 18.02.2026

थाना कोतवाली देहात, जनपद- प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 50,000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के बायें पैर में लगी गोली(घायल)/गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ए.टी.एल. ग्राउण्ड के पास थाना कोतवाली देहात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी/गिरफ्तार किया गया ।

50,000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त अतुल गौड के विरुद्ध जनपद सुल्तानपुर, जौनपुर एवं प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी एवं आयुध अधिनियम जैसे गंभीर अपराधों के कुल 38 अभियोग है पंजीकृत-

घायल ईनामिया अन्तर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त अतुल गौड उर्फ राजा पुत्र लहरी को ईलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ भेजा गया है-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह 30नि0 अखिलेश प्रताप, 30नि0 अतुल तिवारी, 30नि0 रोहित सिंह, 30नि0 जयकिशन, 30नि0 वरूण कुमार सिंह, हे0का दुर्गविजय, हे0का0 अजय कुमार, का0 कुशाल सिंह, का0 विपिन कुमार, का0 रित्नेश कुमार, का0 विश्वदीप, का0 प्रमोद कुमार, चा0का0 विशाल चौधरी के गश्त/चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ए.टी.एल. ग्राउण्ड के पास गश्त/चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0-01/2026 धारा 2/ 3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 50,000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अतुल गौड उर्फ राजा पुत्र लहरी निवासी भूपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में अभियुक्त के *बायें पैर में लगी गोली(घायल) गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अन्तर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज द्वारा दिनांक 14.02.2026 को रु0-50,000/ का पुरस्कार घोषित किया गया था।

घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त का विवरण-

01. अतुल गौड उर्फ राजा पुत्र लहरी निवासी भूपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

ईनामिया अन्तर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त अतुल गौड उर्फ राजा पुत्र लहरी निवासी भूपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-1208/2015 धारा 356, 411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0-002/2016 धारा 356, 411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-1006/2016 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0-034/2017 धारा 34, 379, 392, 412, 419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0-115/2017 धारा 392, 411 भा0दं0वि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0-255/2017 धारा 379, 411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0-207/2018 धारा 379, 411, 413, 414, 420 भा0दं0वि0 थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0-212/2018 धारा 379, 411, 413, 414, 420 भा0दं0वि0 थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0-537/2018 धारा 411 भा0दं0वि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0-656/2018 धारा 379, 411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली जनपद जौनपुर।
11. मु0अ0सं0-169/2019 धारा 41, 411, 413, 414 भा0दं0वि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0-249/2019 धारा 307 भा0दं0वि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0-251/2019 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
14. मु0अ0सं0-287/2019 धारा 392, 411 भा0दं0वि0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0-1038/2019 धारा 379, 411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर।
16. मु0अ0सं0-035/2023 धारा 392, 411 भा0दं0वि0 थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
17. मु0अ0सं0-040/2023 धारा 307, 411 भा0दं0वि0 थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
18. मु0अ0सं0-041/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
19. मु0अ0सं0-074/2024 धारा 307, 411 भा0दं0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।
20. मु0अ0सं0-211/2024 धारा 309(4), 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
21. मु0अ0सं0-219/2024 धारा 309(4), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
22. मु0अ0सं0-220/2024 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
23. मु0अ0सं0-249/2024 धारा 309(4), 317(2), 351(2) बीएनएस थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।
24. मु0अ0सं0-256/2024 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।
25. मु0अ0सं0-258/2024 धारा 356, 411 भा0दं0वि0 थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।
26. मु0अ0सं0-269/2024 धारा 115(2), 304(2), 317(2), 317(4) बीएनएस थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।
27. मु0अ0सं0-046/2025 धारा 111(2)(b), 304 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
28. मु0अ0सं0-052/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
29. मु0अ0सं0-054/2025 धारा 309(4) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
30. मु0अ0सं0-086/2025 धारा 309(4), 351(2) बीएनएस थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।
31. मु0अ0सं0-140/2022 धारा 380, 411, 457 भा0दं0वि0 थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
32. मु0अ0सं0-157/2022 धारा 380, 411, 457 भा0दं0वि0 थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।
33. मु0अ0सं0-169/2022 धारा 379, 411 भा0दं0वि0 थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर।

34. मु0अ0सं0-117/2022 धारा 411, 413, 414 भा0दं0वि0 थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुरा
35. मु0अ0सं0-212/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुरा
36. मु0अ0सं0-279/2022 धारा 379, 411 भा0दं0वि0 थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुरा
37. मु0अ0सं0-178/2022 धारा 379, 411 भा0दं0वि0 थाना मछलीशहर जनपद जौनपुरा
38. मु0अ0सं0-01/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप, उ0नि0 अतुल तिवारी, उ0नि0 रोहित सिंह, उ0नि0 जयकिशन, उ0नि0 वरूण कुमार सिंह, हे0का दुर्गविजय, हे0का0 अजय कुमार, का0 कुशल सिंह, का0 विपिन कुमार, का0 रिन्देश कुमार, का0 विश्वदीप, का0प्रमोद कुमार, चा0का0 विशाल चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 18.02.2026

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अन्तिम पटेल को किया गया गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज कैथोला बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 अजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0असं0 28/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना लालगंज प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अन्तिम पटेल पुत्र ऊदल पटेल निवासी सारीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज कैथोला बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अन्तिम पटेल पुत्र ऊदल पटेल निवासी सारीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 अजीत कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।